



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271606
CG-DL-E-07042026-271606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]
No. 241]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/चैत्र 16, 1948
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

सं. 1-सीए (7)/241/2026.—भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में तारीख 06 फरवरी, 2026 से कोरबा शहर (छत्तीसगढ़) में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा को स्थापित करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की कोरबा शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय कोरबा शहर (छत्तीसगढ़) में अवस्थित होगा। शाखा के अधिकार क्षेत्र में कोरबा शहर के अतिरिक्त, कोरबा शहर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर शामिल होंगे :—

- जंजगीर
- चंपा
- जंजगीर-चंपा

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार, यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./08/2026-27]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2026

No. 1-CA (7)/241/2026.— In pursuance of the Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Central India Regional Council at Korba city (Chhattisgarh) with effect from 6th February, 2026.

The Branch shall be known as Korba Branch of Central India Regional Council and its Headquarters shall be Korba city (Chhattisgarh). The Jurisdiction of the Branch shall besides Korba city, include the following cities/towns falling within a distance of 50 kms from the city limits of Korba: -

1. Janjgir
2. Champa
3. Janjgir-Champa

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./08/2026-27]